भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1629
दिनांक 10 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय पशुधन मिशन

1629. श्री पी. पी. चौधरीः

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः

श्री कोटा श्रीनिवास पूजारीः

श्री तापिर गावः

श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः

श्रीमती हिमाद्री सिंहः

श्री जुगल किशोरः

श्री नव चरण माझीः

श्री बिभु प्रसाद तराईः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) राजस्थान के शुष्क और पहाड़ी क्षेत्रों और विशेषकर पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आजीविका के नए अवसर किस प्रकार सृजित करता है;

(ख) एनएलएम के अंतर्गत पहली बार ऊंट, घोड़े और गधों को शामिल करने के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) मौजूदा लाभार्थियों में से महिलाओं के नेतृत्व वाले स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या कितनी है;

(घ) उद्यमियों को केन्द्रीय राजसहायता प्राप्त करने में औसतन कितना समय लगता है;

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि बैंक संपार्श्विक संबंधी मुद्दों के बिना ऋण प्रदान करें;

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर राजस्थान में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत कुल कितने किसान, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित हुए हैं; और

(छ) सरकार द्वारा पशुधन बीमा कवरेज को लगभग 0.98 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 5 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) योजना के अंतर्गत, NLM-उद्यमिता विकास कार्यक्रम (NLM-EDP) एक महत्वपूर्ण घटक है जो राजस्थान के शुष्क और पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश में आजीविका के नए अवसर पैदा करने में सहायक है। NLM-EDP के अंतर्गत, ग्रामीण पोल्ट्री प्रजनन फार्मो, भेड़/बकरी, सूअर, ऊंट, घोड़ा, गधा पालन फार्म, साथ ही चारा मूल्य वर्धन इकाइयों जैसे कि घास, (Hay) साइलेज, संपूर्ण मिश्रित राशन (TMR), चारा ब्लॉक और चारा बीज प्रसंस्करण, ग्रेडिंग और भंडारण इकाइयों की स्थापना में सहायता के लिए व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), स्वयं सहायता समूहों (SHG), संयुक्त देयता समूहों (JLG), किसान सहकारी संगठनों (FCO) और धारा 8 कंपनियों को 50.00 लाख रुपये तक की 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह पूरी योजना nlm.udyamimitra.in के माध्यम से पूर्णतः डिजिटल है। राजस्थान राज्य और पाली जिले के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

राजस्थान राज्य प्रोफ़ाइल

क्र. सं.	अनुमोदित परियोजनाएं	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	अनुमोदित सब्सिडी (करोड़ रु में)	पहली किस्त प्राप्त करने वाले आवेदकों की संख्या	जारी की गई पहली किस्त की राशि (करोड़ रुपये में)	दूसरी किस्त प्राप्त करने वाले आवेदकों की संख्या	जारी की गई दूसरी किस्त की राशि (करोड़ रुपये में)	जारी की गई कुल सब्सिडी (करोड़ रुपये में)
1	170	89.65	38.73	136	16.56	23	2.90	19.46

पाली जिले का प्रोफाइल

क्र.सं.	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	श्रेणी	परियोजना लागत (करोड़ रु.में)	अनुमोदित सब्सिडी (करोड़ रु. में)	जारी की गई पहली किस्त की संख्या	जारी की गई पहली किस्त की राशि (करोड़ रु. में)	जारी की गई दूसरी किस्त की संख्या	जारी की गई दूसरी किस्त की राशि (करोड़ रु.में)	कुल जारी की गई सब्सिडी
1	1	Goat	0.20	0.10	1	0.05	0	0	0.05

(ख) पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार ने ऊंट, घोड़े और गधे को NLM योजना के अंतर्गत शामिल किया ताकि इन पशुओं को असंगठित कृषि क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में लाया जा सके, साथ ही सतत नस्ल सुधार और विभिन्न देशी नस्लों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक्काइन, गधे और ऊंट पालन के क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके।

(ग) NLM-EDP के अंतर्गत महिलाओं के नेतृत्व वाली कुल 858 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है। इनमें से, 2 परियोजनाएं संयुक्त देयता समूहों की हैं और 1 परियोजना मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह (SHG) की है, जबकि शेष परियोजनाएं व्यक्तिगत महिला उद्यमियों से संबंधित हैं।

(घ) NLM-EDP सब्सिडी वितरण प्रक्रिया में राज्य सरकार, बैंकों और केंद्रीय स्तर पर कई चरणों की जांच शामिल है। लाभार्थी को सब्सिडी की पहली और दूसरी किस्त तभी प्राप्त करने का अधिकार है जब वह सभी मानदंडों का पालन करता है और दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करता है।

(ड़) NLM -उद्यमिता विकास कार्यक्रम – (NLM-EDP) के अंतर्गत बैंकों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा अपने आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण स्वीकृत और वितरित किए जाते हैं। प्रत्येक ऋण आवेदन का मूल्यांकन आवेदक के CIBIL स्कोर, साख, कोलेटरल सेक्योरिटी, अदायगी क्षमता और अन्य उचित जांच उपायों जैसे मापदंडों के आधार पर करना बैंक का विशेषाधिकार है।

(च) पिछले तीन वर्षों में NLM-उद्यमिता विकास कार्यक्रम (NLM-EDP) के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की कुल संख्या 60872 है, जबकि राजस्थान में लाभान्वित किसानों की कुल संख्या 1158 है।

(छ) पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के अंतर्गत पशुधन बीमा पहल को देश के सभी जिलों में कार्यान्वित कर रहा है। कवरेज बढ़ाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार ने सूअरों और खरगोशों को छोड़कर सभी पशुओं के लिए प्रति परिवार सब्सिडी लाभ को 5 गोपशु इकाई से बढ़ाकर 10 गोपशु इकाई कर दिया है, जबकि सूअरों और खरगोशों के लिए यह सीमा 5 गोपशु इकाई है (1 पशु इकाई 10 छोटे पशुओं के बराबर है)। सामर्थ्य में सुधार लाने के लिए, बीमा प्रीमियम में किसान की हिस्सेदारी को सरल बनाया गया है और पहले के 20 से 50% के दायरे से घटाकर एक समान 15% कर दिया गया है। शेष 85% प्रीमियम का वित्तपोषण संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अधिकांश राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में और हिमालयी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिए 90:10 के अनुपात में किया जाता है। पिछले पांच वर्षों में, इस योजना के अंतर्गत 161.07 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिससे कुल 60.80 लाख पशुओं का बीमा किया गया है।

*****